न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)

पीठासीन अधिकारी श्री कमल कुमार मीना R.A.S

मिसल नं0	तारीख दायर	तारीख फैसल
31 / प्रा0पत्र / 2021	25.03.2021	01.12.2021

कन्हैयालाल आ0 रंगलाल जाति धोबी निवासी भूमाखेडा तहसील तालेडा जिला बून्दी हाल निवासी ए-49 सिविल लाईन दोस्तपुरा माताजी के मन्दिर क पास कोटा, जिला कोटा (राज0)

......प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तालेडा जिला बून्दी (राज0)

........अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषक
अधिवक्ताप्रार्थीः- श्री हेमराज राठौर
अधिवक्ता अप्रार्थीगः- पेरोकार सरकार

– : : निर्णय : : –

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा- 136 भू-राजस्व अधिनियम

संक्षेप में प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न तथ्य निवेदन किये कि:-

1 यह कि खाता सं0 नया 288 पुराना 286 की कृषि भूमि ख0सं0 789/14 रकबा 6 बीघा 03 बिस्वा वाके ग्राम भूमाखेड़ा पटवार हल्का लाडपुर तहसील तालेडा जिला बून्दी में स्थित है। उक्त भूमि में प्रार्थी का हिस्सा 1/7 संयुक्त रूप से दर्ज है। जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम खाना आ0 रंगलाल अंकित है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संवत् 2071-74 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है।

2 यह कि प्रार्थना पत्र की चरण सं0 1 में वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम खाना आ0 रंगलाल अंकित हो रहा है। (जिसका सही नाम कन्हैयालाल आ0 रंगलाल है। जमाबन्दी राजस्व रिकार्ड में दर्ज खाना आ0 रंगलाल का सही नाम कन्हैयालाल आ0 रंगलाल है। प्रार्थी नामान्तकरण दर्ज कराते समय सहवन से भूलवश कन्हैयालाल के स्थान पर खाना का इन्द्राज दर्ज हो गया है। जबकि वास्तव में प्रार्थी का नाम खाना कभी नही रहा है। खाना का वास्तविक नाम कन्हैयालाल है।

3 यह कि प्रार्थी का नाम खाना आ0 रंगलाल नही होकर प्रार्थी का वास्वविक नाम कन्हैयालाल आ0 रंगलाल है। उक्त कन्हैयालाल आ0 रंगलाल के नाम से ही प्रार्थी की आधार कार्ड सं0 396707320988 बना हुआ है तथा पहचान पत्र, राशन कार्ड बने हुये है तथा ग्राम भूमाखेडा पटवार हल्का लाडपुर की अन्य कृषि भूमियॉ जमाबन्दी सं0 नयी 130 खाता सं0 46 न्यायाहित में भी प्रार्थी का नाम कन्हैयालाल अंकित हो रहा है। इसलिए प्रार्थना पत्र की चरण सं0 1 में अंकित भूमि की जमाबन्दी में भी प्रार्थी का नाम खाना आ0 रंगलाल के स्थान पर कन्हैयालाल आ0 रंगलाल किया जाना आवश्यक है।

4 यह कि प्रार्थना पत्र की चरण सं0 1 में वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम कन्हैयालाल आ0 रंगलाल के स्थान पर सहवन से खाना आ0 रंगलाल अंकित हो जाने के कारण प्रार्थी को सरकारी योजना, सरकारी अनुदान व बैंक से वित्तीय सुविधा भी नही मिल पाती है तथा राजस्व सम्बन्धी प्रत्येक कार्य में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण प्रार्थी का

उपखण्ड अधिकारी
तालेडा जिला बून्दी

Scanned with CamScanner

नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में खाना आ0 रंगलाल के स्थान पर कन्हैयालाल आ0 रंगलाल अंकित कर संशोधन किया जाना आवश्यक है।

यह कि प्रार्थी ने अपने नाम संशोधन करने के लिए राजस्व अभियान में भी लिखित में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए है, लेकिन कोई सुनवाई नही हुई है। अन्तिम बार प्रार्थी ने दिनांक 10.12.2019 को अप्रार्थी श्रीमान तहसीलदार सा0 तालेडा जिला बून्दी को भी निवेदन किया तो उनके द्वारा प्रार्थी को बताया गया कि समक्ष राजस्व न्यायालय के आदेश से ही नाम इन्द्राज सही हो सकेगा। यही वाद प्रस्तुति का कारण है, जो निरन्तर पैदा हो रहा है।

6 यह कि प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि वह राजस्व रिकार्ड में सहवन से दर्ज अपना नाम खाना आ0 रंगलाल को संशोधित करवाकर उसके स्थान पर कन्हैयालाल आ0 रंगलाल का अंकन करावे व इस आशय की डिक्री माननीय न्यायालय श्रीमान से प्राप्त करे।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र की चरण सं0 1 में वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में सहवन से दर्ज प्रार्थी का नाम खाना आ0 रंगलाल से संशोधित किया जाकर उसके स्थान पर प्रार्थी का सही नाम कन्हैयालाल आ0 रंगलाल का इन्द्राज करने के आदेश तहसीलदार सा0 तालेडा को प्रदान करे एवं इस आशय की डिक्री प्रदान फरमाई जावे। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी सुलभ हो वह प्राथी को प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया । जवाब पेरोकार सरकार ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में बताया कि प्रार्थी खाना आ0 रंगलाल को दूसरे नाम कन्हैयालाल आ0 रंगलाल के नाम से भी जाना जाता है। दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित खाना आ0 रगंलाल के स्थान पर खाना उर्फ कन्हैयालाल आ0 रगंलाल नाम शुद्व किये जाने हेतु अनुशंषा प्रस्तुत की गई है।

साक्ष्य में प्रार्थी की और से नकल जमाबन्दी खाता सं0 288 ग्राम भूमाखेडा संवत् 2071—74, जमाबन्दी खाता सं0 130 ग्राम भूमाखेडा संवत् 2071—74, जमाबन्दी खाता सं0 46 ग्राम भूमाखेडा संवत् 2071—74, राशन कार्ड, पेन कार्ड, बैंक पास बुक, की प्रतियॉ पेश की।

पत्रावली प्रशासन गॉवों के संग अभियान के तहत कैम्प स्थल लाडपुर में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न प्रार्थी की और से नकल जमाबन्दी खाता सं0 288 ग्राम भूमाखेडा संवत् 2071—74, जमाबन्दी खाता सं0 130 ग्राम भूमाखेडा संवत् 2071—74, जमाबन्दी खाता सं0 46 ग्राम भूमाखेडा संवत् 2071—74, राशन कार्ड, पेन कार्ड, बैंक पास बुक एवं तहसीलदार तालेड़ा की अनुशंषा/रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी **का** शुद्व नाम कन्हैयालाल आ0 रंगलाल होना पाया जाता है। उक्त आराजीयात में प्रार्थी का नाम शुद्व किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार तालेडा को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थना पत्र की चरण सं0 1 में वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम खाना हजफ किया जाकर उसके स्थान पर सही नाम खाना उर्फ कन्हैयालाल आ0 रंगलाल इन्द्राज दुरूस्त किया जावे। जमाबन्दी में शेष इन्द्राज यथावत रहेगें।

यह निर्णय आज दिनांक 01.12.2021 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी तालेडा जिला बून्दी (राज.)

(कमल कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा, बून्दी

Scanned with CamScanner